

अशुद्ध  
3.12.2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
बुधारास पुत्र धनारास जाट कैम्प		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 288/2021		GCMS No. 2021/1065
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
03/12/2021	<p>वादी श्री बुधारास पुत्र धनारास जाति जाट निवासी कैम्प द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत कैम्प में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2121 ग्राम कैम्प पटवार मण्डल सिव-नागौर के खाता नम्बर 48.50 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि बुधारास पुत्र धनारास दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादी का शुद्ध नाम बुधारास पुत्र धनारास है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008378200074 आधार नम्बर - मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी सिव-नागौर भू.अ.नि सिव-नागौर एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)</p>		<p>1169-1171</p> 